



## सामूहिक वनिाश के हथयार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतविधियाँ नषिध) संशोधन वधियक-2022

### प्रलिमिंस के लयि:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वतितीय कार्रवाई टास्क फोरस, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि, 1972 का जैविक हथयार कन्वेंशन, 1993 का रासायनिक हथयार कन्वेंशन

### मेन्स के लयि:

सामूहिक वनिाश के हथयार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतविधियाँ नषिध) संशोधन वधियक-2022

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा में सामूहिक वनिाश के हथयार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतविधियाँ नषिध) संशोधन वधियक-2022 पेश किया है।

- वधियक में सामूहिक वनिाश के हथयारों (WMD) से संबंधित किसी भी गतविधिके वतितपोषण पर रोक लगाने और ऐसी गतविधियों के वतितपोषकों के वरिद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देने की परकिल्पना की गई है।

### वधियक से संबंधित प्रमुख प्रावधान:

- पृष्ठभूमि:** इस वधियक का उद्देश्य सामूहिक वनिाश के हथयार एवं उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतविधियाँ नषिध) अधिनियम-2005 को संशोधित करना है।
- मूल अधिनियम:** वर्ष 2005 का अधिनियम सामूहिक वनिाश के हथयारों और उनकी वतिरण प्रणालियों के संबंध में गैरकानूनी गतविधियों को प्रतबिधित करने के लयि अधिनियमति किया गया था।
  - इस अधिनियम में जैविक, रासायनिक और परमाणु हथयारों तथा उनकी वतिरण प्रणालियों से संबंधित गैरकानूनी गतविधियों को शामिल किया गया है।
  - यह सामूहिक वनिाश के हथयारों और उनकी वतिरण प्रणालियों के संबंध में सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों के नरियात पर नरित्रण लगाने और गैर-राज्य अभकिरत्ताओं या आतंकवादियों को उनके हस्तांतरण की रोकथाम हेतु एकीकृत कानूनी उपायों का भी प्रावधान करता है।
- संशोधन की आवश्यकता:** सामूहिक वनिाश के हथयारों से संबंधित मौजूदा अधिनियम ऐसी वतिरण प्रणालियों के वतितीय पहलू को कवर नहीं करता है, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लयि नए प्रावधान आवश्यक हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लक्षित वतितीय प्रतबिधों और वतितीय कार्रवाई टास्क फोरस की सफारिशों को सामूहिक वनिाश के हथयारों तथा उनकी वतिरण प्रणालियों के प्रसार के वतितपोषण के खिलाफ अनविर्य कर दिया गया है।
- वधियक का उद्देश्य:** वधियक का उद्देश्य तीन लक्ष्यों को प्राप्त करना है:
  - सामूहिक वनिाश के हथयारों से संबद्ध गतविधियों के वतितपोषण को प्रतबिधित करना।
  - इस तरह के वतितपोषण को रोकने के लयि केंद्र को धन, वतितीय संपत्तिया आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने, ज़ब्त करने या संलग्न करने का अधिकार देना।
  - सामूहिक वनिाश के हथयारों और उनकी वतिरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी नषिधित गतविधिके लयि धन, वतितीय संपत्तिया आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक लगाना।

### सामूहिक वनिाश के हथयार (WMD):

- WMD के तहत ऐसे हथयार शामिल हैं जनिमें बड़े पैमाने पर मौत और वनिाश करने की क्षमता होती है तथा एक शत्रु शक्ति के हाथों में इनकी उपस्थतिको एक गंभीर खतरा माना जा सकता है।

- सामूहिक वनिाश के आधुनिक हथियारों में परमाणु, जैविक, रासायनिक हथियार शामिल होते हैं जिन्हें एनबीसी हथियार (NBC Weapons) कहा जाता है।
- सामूहिक वनिाश के हथियार शब्द वर्ष 1937 से चलन में है, जब इसका इस्तेमाल बमवर्षक वमिानों के बड़े पैमाने पर संरचनाओं का वर्णन करने के लिये किया जाता था।
  - उदाहरण के लिये जापान में हरिाशमा और नागासाकी हमले में इस्तेमाल किये गए परमाणु बम।
- WMD के प्रसार को नरियंत्रित करने के प्रयास अंतरराष्ट्रीय समझौतों में नहिति हैं, जैसे:
  - 1968 की परमाणु अप्रसार संधि
  - वर्ष 1972 का जैविक हथियार सम्मेलन
  - वर्ष 1993 का रासायनिक हथियार सम्मेलन
- भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, लेकिन जैविक हथियार सम्मेलन और रासायनिक हथियार सम्मेलन दोनों का हस्ताक्षरकर्ता है।

## वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'ऑस्ट्रेलिया समूह' तथा 'वासेनार व्यवस्था' के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय नरियात नरियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन करने का नरिणय लरिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? (2011)

1. 'ऑस्ट्रेलिया समूह' एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य नरियातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखमि को न्यूनिकृत करना है, जबकि 'वासेनार व्यवस्था' OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य हैं।
2. 'ऑस्ट्रेलिया समूह' के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि 'वासेनार व्यवस्था' के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- ऑस्ट्रेलिया समूह एक बहुपक्षीय नरियात नरियंत्रण व्यवस्था और देशों का एक अनौपचारिक समूह है (अब यूरोपीय आयोग में शामिल हो गया)। इसे वर्ष 1985 में (1984 में इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के उपयोग के बाद) सदस्य देशों को उन नरियातों की पहचान करने, जिन्हें नरियंत्रित करने की आवश्यकता है, में मदद के लिये स्थापित किया गया था ताकि रासायनिक एवं जैविक हथियारों का प्रसार न हो सके।
- औपचारिक रूप से जुलाई 1996 में स्थापित वासेनार अरेंजमेंट, पारंपरिक हथियारों के लिये एक स्वैच्छिक नरियात नरियंत्रण व्यवस्था है तथा दोहरे उपयोग वाले सामान और प्रौद्योगिकी एक बहुपक्षीय नरियात नरियंत्रण व्यवस्था है।
  - वासेनार अरेंजमेंट 42 देशों का समूह है, जिसमें शामिल होने वाला भारत सबसे नवीनतम देश है।

प्रश्न: 'रासायनिक हथियार नषिध संगठन (OPCW)' के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजिये: (2016)

1. यह नाटो और डब्ल्यूएचओ के साथ कार्य करने के संबंध में यूरोपीय संघ का एक संगठन है।
2. यह नए हथियारों के उपयोग को रोकने हेतु रासायनिक उद्योगों की नगरिानी करता है।
3. यह रासायनिक हथियारों के खतरों के खलिाफ राज्यों (पार्टियों) को सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- 29 अप्रैल, 1997 को रासायनिक हथियार कन्वेंशन (CWC) के लागू होने से रासायनिक हथियार नषिध संगठन (OPCW) के नेतृत्व में

अंतरराष्ट्रीय रासायनिक हथियार नरिस्त्रीकरण व्यवस्था की स्थापना हुई।

- इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/weapons-of-mass-destruction-and-their-delivery-systems-prohibition-of-unlawful-activities-amendment-bill-2022>

